

प्रश्न सं. [क. 44]

सत्रिशीष
प्रपत्र [मा]

विधान सभा तारांकित प्रश्न-44

प्रश्नांस—“क”

बीना परियोजना जिला—सागर के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया पूरी किये गये कार्यों का विवरण।

स.क्र.	कार्य का नाम	रिपोर्ट
1.	टर्न की पद्धति पर बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत चक्रपुर बांध का निर्माण कार्य	1. चक्रपुर बांध का कार्य प्रारंभ किया जाकर 7 ब्लाक में नींव खुदाई एवं 4 ब्लाक में नींव में कांक्रिटिंग का कार्य किया गया है।
2.	टर्न की पद्धति पर बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत मढ़िया बांध का निर्माण कार्य	1. सर्वेक्षण एवं बांध के रूपांकन का कार्य प्रगति पर।
3.	टर्न की पद्धति पर बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत प्रेशराइज्ड पाईप द्वारा सूखे सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य	अनुबंध किया जाना शेष है।

(आलोक कुमार खरे)

परियोजना प्रशासक

बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई

(बीपीआईयू-2) कमांक-2 राहतगढ़,

जिला—सागर (म.प्र.)

विधान सभा तार्गति प्रश्न-44

प्रश्नांस-“ख”

बीना परियोजना जिला-सागर के अन्तर्गत मांगों का विवरण।

सं. क्र.	आवेदन कर्ता	कार्यलय जहां आवेदन प्राप्त हुआ	विभाग को जिस कार्यलय से आवेदन प्राप्त हुआ	आवेदन में उल्लेखित मुख्य मांगों बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना रद्द करने की मांग	मान्य/अमान्य किये जाने के कारण	सिमार्क
1.	बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत प्रभावित किसान संघर्ष समिति (केन्द्रीय)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बोगमांज, जिला-रायसेन का पत्र क्र. 1249 / रस्टेनो / 2018 / दिनांक 20.08.2018	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ का पत्र क्र. 225 / अ.वि.लि. / 16.05.2019 / दिनांक 16.05.2019	बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना रद्द करने की मांग	मांग स्वीकार योग्य नहीं।	
2.	गामीण जन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ का पत्र क्र. 623 / री.तह. / 2019 / राहतगढ़ दिनांक 03.10.2019	राशि रु. 45.00 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा, आवासीय मकान का मुआवजा रु. 12.00 लाख कुरों का मुआवजा रु. 7.00 लाख ट्यूबवेल का मुआवजा रु. 3.00 लाख तथा पेड़ों का उद्यित मुआवजा देने की मांग।	मांग शासन आदेशों एवं नियमानुसार नहीं।	
3.	समरत क्षेत्रवासी	तहसीलदार तहसील राहतगढ़	तहसीलदार तहसील राहतगढ़ का पत्र क्र. 623 / री.तह. / 2019 / राहतगढ़ दिनांक 03.10.2019	तहसीलदार तहसील राहतगढ़ का पत्र क्र. 623 / री.तह. / 2019 / राहतगढ़ दिनांक 03.10.2019	मडिया बाध ऐकने की मांग नहीं।	मांग स्वीकार योग्य
4.	समरत क्षेत्रीय डूब प्रभावित किसान	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ का पत्र क्र. 33 / री. / अ.वि.लि. / 2020 / दिनांक 15.01.2020	यदि जमीन एक या दो एकड शेष बची है तो उसका मुआवजा दिलाया जाये मुआवजा राशि 30.00 लाख प्रति हेक्टेयर दिया जाये। किसान परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाये।	मांग शासन आदेशों एवं नियमानुसार नहीं।	 (आलोक कुमार खरे) परियोजना प्रशासक वेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई (बीपीआईप्यू-2) कमांक-2 राहतगढ़, जिला-सागर (म.प्र.)